



2026:AHC: 166433

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2703/2025

विजय भान और 3 अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : नन्हे लाल त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री नन्हे लाल त्रिपाठी, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान अपील अपीलार्थियों द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा पारित आरोप-पत्र दिनांक 13.06.2009 और तलब करने के आदेश दिनांक 23.07.2009 के साथ-साथ थाना बार, जिला ललितपुर के वाद संख्या 3415 वर्ष 2009 (मुकदमा अपराध संख्या 441 वर्ष 2009 से संबंधित) (राज्य बनाम विजय भान और अन्य), धारा 504, 506 भा.द.सं. और 3(1)10 एससी/एसटी अधिनियम में अपीलार्थियों और विपक्षी संख्या 2 के बीच समझौते के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती देते हुए एससी और एसटी अधिनियम की धारा 14ए(1) के अंतर्गत दाखिल की गई है।
4. एकमात्र प्रार्थना आरोप-पत्र और तलब करने के आदेश को रद्द करने के लिए है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि पक्षकार एक समझौते पर पहुंच गए हैं और सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को निपटा लिया है, इसलिए, मामले की कार्यवाही निरर्थक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.05.2026 द्वारा संबंधित न्यायालय को समझौते को सत्यापित करने का निर्देश दिया था। आदेश दिनांक 04.05.2026 के अनुपालन में, सत्यापित समझौते दिनांक 25.05.2026 की प्रति इस न्यायालय को प्रेषित की गई है।

6. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पक्षकारों के बीच समझौते/निपटारे के प्रकाश में यदि तलब करने के आदेश को अपास्त किया जाता है और आरोप-पत्र को रद्द किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी संख्या 2 को प्रदान किया गया मुआवजा राज्य को पहले ही वापस कर दिया गया है। विद्वान ए.जी.ए. यह भी सूचित करते हैं कि सूचनादाता/विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्राप्त की गई राशि को राज्य कोष में पहले ही जमा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र के अनुसार, सूचनादाता द्वारा 6250/- रुपये जमा किए गए हैं और राशि के संबंध में चालान की फोटोकॉपी को अनुलग्नक-एसए-1 के रूप में संलग्न किया गया है।

7. विपक्षी संख्या 2 द्वारा यह स्वीकार और तर्क दिया गया है कि अनिवार्य रूप से विवाद प्रकृति में निजी है तथा यदि कार्यवाही को रद्द किया जाता है, तो समाज का हित प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **रामगोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 (1) एस.सी.जे. 536, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य [2012 10 एस.सी.सी. 303], गोल्ड क्वेस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य, 2014 (15) एस.सी.सी. 235, निखिल मर्चेंट बनाम सी.बी.आई. और एक अन्य, 2008 (9) एस.सी.सी. 677, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1991) 4 एस.सी.सी. 584 और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) 4 एस.सी.सी. 409** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

9. विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य का विवाद नहीं कर सके कि पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है और अब विपक्षी संख्या 2 विचाराधीन कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

10. चूंकि विवाद के दोनों पक्षकार एक समझौते पर पहुंच गए हैं और विपक्षी संख्या 2 को प्रदान किया गया 6250/- रुपये का मुआवजा राज्य को पहले ही वापस कर दिया गया है, ऐसी स्थिति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में, न्यायालय के पास पक्षकारों के व्यापक हित में आवश्यक रूप से एक उपयुक्त आदेश पारित करने की अंतर्निहित अधिकारिता है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों पर विचार करते हुए और ऊपर संदर्भित निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों तथा विवाद/अपराध की प्रकृति पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इसलिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा पारित आरोप-पत्र दिनांक 13.06.2009 और तलब करने के आदेश दिनांक 23.07.2009 सहित थाना बार, जिला ललितपुर के वाद संख्या 3415 वर्ष 2009 (मुकदमा अपराध संख्या 441 वर्ष 2009 से संबंधित) (राज्य बनाम विजय भान और अन्य), धारा 504, 506 भा.द.सं. और 3(1)10 एससी/एसटी अधिनियम की संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा समझौते के संदर्भ में रद्द किया जाता है।

12. तदनुसार, वर्तमान अपील **स्वीकार** की जाती है।

13. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के माध्यम से ई-मेल/फैक्स द्वारा संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

10 अगस्त, 2026

आशा

(न्यायमूर्ति संतोष राय)